THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Kerala had sought financial assistance of Rs. 1.50 lakhs under the- Central Plan scheme of "Training Research and Monitoring" for purchase of a computer and its accessories for networking of the office of Commissioner of Civil Supplies in Kerala with the National Informatics Centre. The proposal has been approved and sanctions issued recently for release of Rs. 1.35 lakhs as first instalment of the Grant-in-aid.

Registration of brands of agricultural products

504. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any foreign company ap plied or got any brands registered for

rice, wheat or other agricultural products;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any Indian company also got some brands registered for the above products; if so, the product-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. Both Indian and Foreign Companies have re-gest red/applied for registeration of the same or similar makes in respect of rice, wheat, etc.

(b) and (c) Information is being col-lected.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेंहू और चावल की ब्रिकी मूल्य

505. **श्री कपिल सिब्बल**:

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले गेंहूं और चावल की कीमतों वृद्धि करने की घोषणा की थी,

(ख) यदि हां, तो घोषणानुसार सरकार ने राज्य सरकार को बेचें जाने हेतु गेंहू और चावल की कितनी-कितनी कीमत तय की है:

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अपने उपभोक्ताओं को गेंहूं और चावल और अधिक मूल्य पर बेचेगी, और

(घ) यदि हां, तो देश में औसत उपभोक्ता विक्रय मूल्य के संबंध में क्या अनुमान है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यगोपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेंहू और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) का 29.1.1999 से केवल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

(रूपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
गेंहू	650 रूपये	
चावल साधारण	700 रूपये	*केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू ।
ग्रेड "ए"	905 रूपये	